राजस्थान सरकार

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, भीलवाड़ा

(पीठासीन अधिकारी ब्रह्म लाल जाट आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 40/2023 अपील

1. राकेश पुत्र बुद्वसिंह मेहता निवासी 58 ए, गांधीनगर, भीलवाडा —अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये नायब तहसीलदार, भीलवाड़ा —रेस्पोडेण्ट

अपील विरूद्ध नामान्तरकरण संख्या 7320 दिनांकित 15.05.2023 नायब तहसीलदार भीलवाडा अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम

उपस्थित –

1. श्री राकेश जैन अधिवक्ता – अपीलार्थी की ओर से
2. राजकीय अभिभाषक – विपक्षी की ओर से

निर्णय

दिनांक 13.12.2023

अपीलार्थी की ओर से यह अपील अंतर्गत धारा 75 विरूद्व नायब तहसीलदार भीलवाडा के नामान्तरकरण संख्या 7320 दिनांक 15.05.2023 के प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम पांसल तहसील व जिला भीलवाडा में स्थित आराजी संख्या 1251, 1264, 1265, किता 3 रकबा 1.0748 हैक्ट. भूमि राजाराम पुत्र मांगीलाल दमामी के नाम पर राजस्व अभिलेख में खातेदारी से दर्ज रिकार्ड हैं। अपीलार्थी ने उक्त वर्णित भूमि को खातेदार राजाराम से सप्रतिफल क्रय कर अपने आधिपत्य में प्राप्त की है। इस बाबत् विक्रेता राजाराम ने विक्रयपत्र अपीलार्थी के पक्ष में निष्पादित कर पंजीयन करवा दिया है। अपीलार्थी ने रजिस्टर्ड विक्रयपत्र के आधार पर क्रयशुदा कृषि भूमि का नामान्तरकरण खुलवाने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया। जिस पर नायब तहसीलदार द्वारा नामान्तरकरण संख्या 7320 पारित करते हुये नामान्तरकरण निरस्त कर दिया गया। उक्त नामान्तरकरण पर पटवारी हल्का की रिपोर्ट का अंकन किया गया कि " विक्रेता की जाति दमामी है व क्रेता की जाति मेहता हैं, रजिस्टर्ड पत्र में धारा 42 का उल्लघंन होने से नामान्तरकरण खारिज किया जाना उचित हैं"। इसी प्रकार गिरदावर हल्का द्वारा पटवारी रिपोर्ट अनुसार नामान्तरकरण खारिज का अंकन किया हैं। तद्नुसार तहसीलदार भीलवाडा द्वारा पटवारी हल्का एवं गिरदावर हल्का की रिपोर्ट के आधार पर उक्त नामान्तरकरण खारिज कर दिया गया जो विधि विरूद्व होने से निरस्त योग्य हैं। उक्त प्रकरण में विक्रेता दमामी जाति का व्यक्ति हैं एवं दमामी जाति अन्य पिछडा वर्ग में आता हैं। राजस्थान राज्य के समाज कल्याण विभाग द्वारा अधिसूचना क्रमांक एफ–11 (125) आरएण्डपी/सकवि/46631 दिनांक 27.08.1993 के माध्यम से राजस्थान राज्य के लिए पिछडे वर्गों की अधिकृत सूची घोषित की हैं, जिसमें क्रम

अति. जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

राजस्थान राज्य के समाज कल्याण विभाग द्वारा अधिसूचना क्रमांक एफ–11 (125) आरएण्डपी/सकवि/46631 दिनांक 27.08.1993 के माध्यम से राजस्थान राज्य के लिए पिछडे वर्गों की अधिकृत सूची घोषित की हैं, जिसमें क्रम संख्या 35 पर दमामी जाति अंकित हैं। विक्रेता राजाराम दमामी के पक्ष में सक्षम अधिकारी द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग का जाति प्रमाण पत्र जारी किया गया हैं। इसके पश्चात् भी राजस्थान सरकार द्वारा समय – समय पर जारी अधिसूचनाओं में भी दमामी जाति को अन्य पिछडे वर्ग की श्रेणी में रखा गया हैं। श्री एकलिंग जी उदयपुर मेवाड दरबार द्वारा दिनांक 25.01.1938 को मेवाड दरबार के हस्ताक्षर एवं मोहर से जारी स्टाम्प अनुसार अपीलार्थी के पूर्वजों को जो जागीरी प्रदान की गयी उसमें अपीलार्थी के पूर्वजों की जाति दमामी/नगारची अंकित हैं। जो मेवाड काल से निरन्तर चली आ रही हैं एवं राज्य सरकार द्वारा भी राजसी पत्रों को मान्यता प्रदान कर रखी हैं। इस प्रकार प्रश्नगत विक्रयपत्र में विक्रेता दमामी जाति का होकर अन्य पिछडे वर्ग की श्रेणी में आता हैं एवं उक्त प्रश्नगत विक्रयपत्र में धारा 42 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट का कोई उल्लंघन नहीं हुआ हैं। निवेदन हैं कि अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित नामान्तरकरण संख्या 7320 दिनांक 15.05.2023 को अपास्त किया जाकर, अपील में वर्णित कृषि भूमि का रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर अपीलार्थी के नाम पर नामान्तरकरण खोले जाने का आदेश प्रदान करावें।

राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस में बताया कि उक्त प्रकरण में सामान्यतया दमामी जाति एवं ढोली जाति को एक ही मानकर विक्रेता को अनुसूचित जाति का माना जाकर धारा 42 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट का उल्लेख कर उक्त नामान्तरकरण को खारिज किया गया हैं जो सही हैं, क्योंकि अपीलार्थी द्वारा तत्समय सभी दस्तावेजात अधिनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत नही किये गये थे।

बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक परीक्षण किया गया। जिसके उपरान्त यह पाया कि विक्रेता एवं क्रेता अपीलार्थी द्वारा रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 24.11.2022 में विक्रेता की जाति दमामी अंकित हैं।

राजस्थान राज्य के समाज कल्याण विभाग द्वारा अधिसूचना क्रमांक एफ–11 (125) आरएण्डपी/सकवि/46631 दिनांक 27.08.1993 के माध्यम से राजस्थान राज्य के लिए पिछडे वर्गों की अधिकृत सूची घोषित की हैं, जिसमें क्रम संख्या 35 पर दमामी जाति अंकित हैं।

विक्रेता राजाराम दमामी के पक्ष में सक्षम अधिकारी (कार्यालय उपखण्ड अधिकारी भीलवाडा) के क्रमांक आरजे 24/2016/तह. ऑफि./डिजीटल/कास्ट (ओबीसी)/23060 दिनांक 20.08.2016 द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग का जाति प्रमाण पत्र जारी किया गया हैं।

समाज कल्याण विभाग द्वारा जारी लिस्ट ऑफ कास्ट / लिस्ट ऑफ कास्ट ओबीसी अनुसार क्रम संख्या 10 पर नागरची–दमामी जाति अंकित हैं।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत मेवाड दरबार द्वारा जारी स्टाम्प की प्रति अनुसार श्री एकलिंग जी उदयपुर मेवाड दरबार द्वारा दिनांक 25.01.1938 को मेवाड दरबार के

अति. जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

हस्ताक्षर एवं मोहर से जारी स्टाम्प अनुसार अपीलार्थी के पूर्वजों को जो जागीरी प्रदान की गयी उसमें अपीलार्थी के पूर्वजों की जाति दमामी/नगारची अंकित हैं।

अतः उपरोक्त विवेचन अनुसार राजस्थान राज्य के समाज कल्याण विभाग द्वारा अधिसूचना क्रमांक एफ–11 (125) आरएण्डपी/सकवि/46631 दिनांक 27.08.1993, समाज कल्याण विभाग जयपुर, सक्षम अधिकारी द्वारा जारी ओबीसी सर्टिफिकेट एवं मेवाड दरबार द्वारा जारी स्टाम्प (राजसी पत्र) अनुसार विक्रेता की जाति दमामी इंगित होती हैं एवं दमामी जाति को अन्य पिछडा वर्ग में शामिल किये जाने से तद्नुसार रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 24.11.2022 के आधार पर नामान्तरकरण खोले जाने की कार्यवाही किये जाने बाबत् प्रश्नगत नामान्तरकरण संख्या 7320 दिनांकित 15.05.2023 को अपास्त कर प्रकरण अजसिरे निर्णय पारित करने हेतु प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय को रिमाण्ड किया जाना उचित ठहरता हैं। अतः उक्तानुसार अपीलार्थी की अपील स्वीकार योग्य ठहरती हैं। अतएव–

आदेश

अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के तहत अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाती हैं। प्रकरण रिमाण्ड कर अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार भीलवाडा के नामान्तरकरण संख्या 7320 दिनांकित 15.05.2023 को अपास्त किया जाकर, तहसीलदार भीलवाडा को निर्देशित किया जाता हैं कि प्रकरण में राजस्थान राज्य के समाज कल्याण विभाग द्वारा अधिसूचना क्रमांक एफ–11 (125) आरएण्डपी/सकवि/46631 दिनांक 27.08.1993, समाज कल्याण विभाग जयपुर, सक्षम अधिकारी द्वारा जारी ओबीसी सर्टिफिकेट एवं मेवाड दरबार द्वारा जारी स्टाम्प (राजसी पत्र) अनुसार विक्रेता की जाति दमामी अंकित होने से एवं दमामी जाति को अन्य पिछडा वर्ग में शामिल किये जाने से तद्नुसार रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 24.11.2022 के आधार पर नामान्तरकरण खोले जाने की कार्यवाही किये जाने बाबत् प्रकरण में अजसिरे निर्णय पारित किया जावे। निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार भीलवाडा को पालनार्थ प्रेषित की जावे।

निर्णय आज दिनांक 13.12.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ब्रह्म लाल जाट)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

प्रति जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

न्यायालय अति. जिला कलक्टर भीलवाड़ा (राज.)